

मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित

जैसलमेर, 22 दिसम्बर। निर्वाचन विभाग के निर्देशानुसार अर्हता दिनांक 01.01.2019 के संदर्भ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया गया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी (ए.डी.एम) वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने निर्वाचन विभाग के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर को आगामी 12 व 19 जनवरी 2019 को ग्रामसभा की बैठक आयोजन किये जाने के सख्त निर्देश प्रदान किए गये हैं। इसी प्रकार उन्होंने आयुक्त नगरपरिषद जैसलमेर और अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका पोकरण को भी इन्ही तिथियों में वार्डसभा की बैठक आयोजित करने की हिदायत दी गई है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने बताया कि इस पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिन लोगों की आयु आगामी दिनांक 01 जनवरी ,2019 को 18 वर्ष या इससे अधिक हो चुकी है ऐसे पात्र व्यक्ति अपना नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से जोड़वें । उन्होंने अपील की हैं कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत अधिकाधिक पात्र मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जुड़वा कर जिला निर्वाचन विभाग को पूर्ण सहयोग दें। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाता जिनके नाम विधानसभा निर्वाचन में किसी कारणवश मतदाता सूची में नहीं जुड़े हैं वे भी इस अभियान के दौरान अपने नाम संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के समक्ष आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अवश्य ही जुड़वाने की कार्यवाही करें।

उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 दिसम्बर 2018 को एकीकृत मतदाता सूचियों का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। इसी प्रकार से 26 दिसम्बर से आगामी 25 जनवरी तक की अवधि के लिए दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जाएगी। इसी क्रम में 12 जनवरी व 19 जनवरी ,2019 को मतदाता सूचियों के संबंधित भाग की प्रविष्टियों का ग्रामसभा व स्थानीय निकाय व आवासीय वेल्फेयर सोसायटी के साथ बैठक आयोजित की जाकर इसका पठन व सत्यापन किया जाएगा।

पुनरीक्षण कार्यक्रमानुसार आगामी 13 जनवरी व 20 जनवरी को राजनैतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं के साथ विशेष अभियान की तिथि में दावे एवं आपत्तियों के आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाएंगे। इसी प्रकार 11 फरवरी 2019 को दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा एवं 18 फरवरी को डेटाबेस अपरेट करना ,फोटोग्राफ मर्ज करने का कार्य ,कंट्रोल टेबल्स को अपटेटड करना पूरक मतदाता सूचियों की तैयार व मुद्रण की जाएगी और 22 फरवरी को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

उप जिला जिला निर्वाचन अधिकारी वर्मा ने बताया कि मतदाताओं के पहचान-पत्र एक से अधिक क्षेत्रों के लिये बने हुए हैं ऐसे व्यक्ति शेष पहचान-पत्रों को तत्काल निरस्त करवा लें। जिन मतदाता का निधन हो चुका है उनके परिजन उनके पहचान-पत्र को समय रहते निरस्त करवा दें। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में उनकी भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है इसलिए वे इस कार्य में निर्वाचन विभाग को पूरा सहयोग प्रदान करें।